संक्षिप्त

चार आरोपी गिरफ्तार

टोंक। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मंगलवार रात्रि को पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के बटवालान मोहल्ला में छापामार कार्यवाही करते हुए इग्लैंण्ड बनाम पाकिस्तान वर्ल्ड कप टी-20 मैच पर करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा पकड़ा गया है। सूचना मिलने के बाद जिला स्पेशल टीम द्वारा बटवालान मोहल्ला में सुनियोजित तरीके से छापामार कार्यवाही कर उनके कब्जे से 12 मोबाइल, एक लैपटॉप, दो केलकुलेटर एवं 7740 रूपये नकद राशि तथा लेपटॉप पर करीबन एक करोड़ 27 लाख 34 हजार 850 ऑनलाइन सट्टा का हिसाब लिखा बरामद किया गया है। इस कार्यवाही के दौरान मौके से तीन आरोपी इमरान पुत्र मो० आबिद उम्र 42 वर्ष, सलमान पुत्र सईद उम्र 30 वर्ष व हारून पुत्र आरिफ मियां उम्र 34 वर्ष को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध पुलिस थाना पुरानी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से ऑनलाइन सटटा के संबंध में मिली लाइनों से आगे के नेटवर्क की गहनता से जांच की जा रही है।

महाप्रसादी में उमड़े श्रद्धालु

निवाई। कैरोद मोड पर स्थित काला भाटा के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सन्यास आश्रम के स्वामी कर्मानन्दगिरी महाराज के सानिध्य में ब्रह्मलीन स्वामी हीरानंद महाराज का 61वां दो दिवसीय महापरिनिर्वाण दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्वामी कर्मानन्दगिरी महाराज ने कहा कि स्वामी हीरानंद महाराज के बताए मार्ग पर चलते हुए गौ सेवा करे। उन्होंने समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया। आश्रम के गोविन्द हाकला, रूपसिंह अधाणा, गजबसिंह डोई व रमेश्वर पोसवाल ने बताया कि महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर गुरु पूजन के साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इसके बाद ब्रह्मलीन स्वामी हीरानंद महाराज व ब्रह्मलीन सेवानंद महाराज की महाआरती करके महाप्रसादी का आयोजन हुआ। जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान दूर दराज गांवों से सैकड़ों श्रद्धालु आश्रम पर पहुंचकर गुरु पूजा की। इसी प्रकार अद्वैत आश्रम हरभांवता में भी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद महाराज के सानिध्य में ब्रह्मलीन स्वामी हीरानंद महाराज का दो दिवसीय महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। अद्वैत आश्रम के शिवदयाल गुर्जर ने बताया कि दो दिवसीय महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर बुधवार को गुरुपूजन के साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ।

आशाराम का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन

निवाई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सैदरिया खुर्द के शारीरिक शिक्षक आशाराम गुर्जर का अखिल भारतीय सिविल सेवा खो खो पुरुष प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। प्रधानाचार्य घनश्याम बुनकर ने बताया कि शारीरिक शिक्षक आशाराम का राजस्थान सचिवालय की टीम में चयन हुआ है। जो पुणे महाराष्ट्र में 19 से 22 मार्च तक होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान प्रधानाचार्य घनश्याम बुनकर, प्रभारी मंजू देवी वर्मा, राजाराम मीणा, गोविंद गौतम, खेमराज त्यागी, सुरेंद्र कुमार, जन्सीलाल गुर्जर, संजय पाराशर, आयुष शर्मा, वीरभान चीता, सतीश सोनी, सुशील साहू, सुरज्ञान तँवर, सुमन गुर्जर, राधाकिशन लोधा सहित सभी विद्यार्थियों ने शारीरिक शिक्षक का माला पहनाकर स्वागत किया और अग्रिम शुभकामनाएं दी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा

दौसा। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी 5 मार्च को पं. नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा संबल मेले का आयोजन किया जाएगा।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी : राजाराम मुंडोली

- जिला स्तरीय बच्चों के मुद्दों पर कन्वर्जेंस बैठक
- जब तक चाइल्ड फोरम, जिला बाल संरक्षण समिति एवं संबंधित विभाग सक्रिय रहकर आपसी समन्वय से कार्य नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को अपेक्षित सुरक्षा नहीं मिल सकेगी

बैठक में बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श किया।

भरतपुर (निस)। अनाज मंडी रोड स्थित एक होटल में जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई द्वारा कन्वर्जेंस मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करना तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। इस अवसर पर लगभग 20 विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत प्रयत्न संस्था एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से आयोजित की गई। बैठक में ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर बाल संरक्षण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने तथा समन्वित कार्य प्रणाली विकसित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम मुंडोली ने कहा कि प्रत्येक बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

उन्होंने बाल संरक्षण को संवेदनशील विषय बताते हुए कहा कि जब तक चाइल्ड फोरम, जिला बाल संरक्षण समिति एवं संबंधित विभाग सक्रिय रहकर आपसी समन्वय से कार्य नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को अपेक्षित सुरक्षा नहीं मिल सकेगी। उन्होंने विद्यालय स्तर पर गठित मंचों, ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर की बाल संरक्षण समितियों को नियमित एवं सक्रिय रखने पर विशेष जोर दिया, ताकि बच्चों से जुड़े मुद्दों पर निरंतर चर्चा एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। परियोजना प्रबंधक राधा हेमलता ने कवच परियोजना की विस्तृत जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत की।

उन्होंने बताया कि यह परियोजना जिले की 405 ग्राम पंचायतों में बाल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां संचालित कर रही है। ग्राम स्तर पर गठित बाल संरक्षण समितियों के माध्यम से जोखिमग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने तथा आधार से लिंक करने का कार्य किया जा रहा है। सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई अमित अवस्थी ने प्रयत्न संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि कवच परियोजना के माध्यम से ग्राम स्तर पर चिन्हित जोखिमग्रस्त बच्चों के मामलों को ग्राम समिति एवं जिला स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने रिपोर्टिंग प्रक्रिया को और बेहतर बनाने तथा संबंधित विभागों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने पर बल दिया। बैठक के उपरांत संस्था द्वारा तैयार पंचायत डायरी का विमोचन सहायक निदेशक अमित अवस्थी, उपनिदेशक राजेश कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन प्रतिनिधि, श्रम विभाग, मानव संसाधन उन्मूलन विभाग एवं दिशा फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शाहपुरा से सैनी समाज के लोग जयपुर पहुंचे

शाहपुरा। 12 फीसदी आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को शाहपुरा सहित आस-पास के गांवों से बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग वाहनों में सवार होकर जयपुर में आयोजित विधानसभा घेराव में शामिल हुए।

इस दौरान सैनी समाज के लोगों ने जय फुले जय सावित्री बाई, आरक्षण हमारा अधिकार है इसे हम लेकर रहेंगे, नही किसी से भीख मांगते हम हमारा अधिकार मांगते जैसे ओजस्वी नारे लगाते हुए विधानसभा घेराव में पहुंचे।

विधानसभा घेराव को लेकर सैनी समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री शब्बीर खान पुत्र स्व. श्री नसीब खान निवासी प्लाट नम्बर 10 राजहंस कॉलोनी, नृसिंह मार्ग, ब्रह्मपुरी जयपुर एवं श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामगुप्ता निवासी प्लाट नम्बर 298 सागर रोड, जयपुर के मध्य दिनांक 15.12.2017 एवं 01.04.2018 को निष्पादित साझा पत्र को आपसी व्यापारिक मतभेद के कारण श्री शब्बीर खान ने दिनांक 22.01.2026 के रजिस्टर्ड नोटिस द्वारा मैसर्स टैक्सटाईल कॉर्पोरेशन डवलपमेंट के नाम से किये जाने वाले व्यापार की साझेदारी फर्म को भंग कर दिया गया है। साझा व्यापार का समस्त माल श्री राकेश कुमार गुप्ता ने विक्रय कर दिया है। श्री शब्बीर खान साझा पत्र निष्पादन से लेकर दिनांक 21.01.2026 तक के आय व्यय, लाभ-हानि के बही खाते समझने एवं फर्म में निकलने वाली राशि श्री राकेश कुमार गुप्ता से प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त तिथि के पश्चात भविष्य में कोई भी व्यक्ति फर्म या बैंक या वित्तीय संस्थाऐं मैसर्स टैक्सटाईल्स कोर्पोरेशन डवलपमेंट एवं श्री राकेश कुमार गुप्ता से उक्त फर्म के नाम से कोई लेनदेन व्यापार या माल का विक्रय नही करें। यदि इसके बाद भी कोई लेन-देन किया जाता है तो श्री शब्बीर खान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी।
दिनांक-25.02.2026
(फराज हुसैन) एडवोकेट
मो.नं. 9929797865

खोया-पाया

दिनांक 19 फरवरी 2026 को लगभग दोपहर 2 बजे किशनगढ़ शहर में प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात की फोटो कॉपी कराने गया था, इस दौरान कही 2 ओरिजनल कागजात गिर गुम हो गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। तक्रनं 0029312207 पावर ऑफ अटारनी श्रीमति पवित्रा कुमारी पत्नि स्व. श्री चिरंजीलाल बैरवा मुख्त्यार नामा अधिकृत रघुवीर प्रसाद पुत्र पूनम चन्द अग्रवाल बुक नम्बर 4 वाल्यूम नम्बर 616 पेज नम्बर 142 सिरियल नम्बर 201205200138, एडिशनल बुक नम्बर 4 वाल्युम नम्बर 616 पेज नम्बर 360 से 371 दिनांक 19 मार्च 2012 से सैल डीड श्रीमति किर्ति गुप्ता व मेसर्स मेसर्स राधा गोविन्द बिल्डकोम पार्टनर कन्हैयालाल क्रेता श्रीमति पवित्रा कुमारी पत्नि स्व. चिरंजीलाल बैरवा बुक नम्बर । वाल्यूम नम्बर 672 पेज नम्बर 39 सिरियल नम्बर 20100052009165 एडिशनल बुक नम्बर। वाल्युम नम्बर 2673 पेज नम्बर 474 से 486 दिनांक 21 अक्टूबर 2010 गुम हो गये। उपरोक्त कागजात की गुमसुदगी दिनांक 21 फरवरी 2026 को राजस्थान पुलिस में ऑनलाईन दर्ज करा दी है, जिसके रक्र नं 3062566/2026 है। अत: जिस किसी को उक्त कागजात मिले निम्न पते पर पहुंचाने का कष्ट करे। सुमित भंडारी पुत्र नरेंद्र भंडारी शिव मंदिर के सामने धान मंडी किशनगढ़ शहर (अजमेर) पिन कॉर्ड 305802

नाम परिवर्तन

मैं रीना मिगलानी, पत्नी श्री राजीव मिगलानी, निवासी 303ए, गुरूनानकपुरा, राजापार्क, आदर्श नगर जयपुर (राज.) शपथ पूर्वक बयान करती हूं कि पूर्व में मेरा नाम रीना सुखीजा था विवाह उपरान्त मैने मेरा नाम रीना सुखीजा की स्थान पर रीमा मिगलानी परिवर्तित कर लिया है। भविष्य में मुझे रीना मिगलानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

खोया पाया

आवास संख्या 6/221 एस.एफ.एस. मानसरोवर जयपुर का मूल कब्जा पत्र और अदेय प्रमाण पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। आशा खत्री मो. 9983257349

मेरे भूखण्ड सं. ए/257 जे.डी.ए. की योजना रघुनाथ विहार जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन पत्र और कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया किसी को मिले तो सम्पर्क महेन्द्र सिंह गुर्जर-9654791877

मेरे भूखण्ड सं. डी/126 जे.डी.ए. की योजना केदार विहार जयपुर का जे.डी.ए. से जारी मूल आवंटन पत्र और कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है किसी को मिले तो संपर्क करें। चंद्रप्रभा जैन-9654791877

मेरे प्लाट नंबर-102 जैम विहार का मूल पट्टा मेरे द्वारा क्रय की गई मूल रजिस्ट्री मु. आम कहीं गुम हो गये है किसी को मिले तो संपर्क करें। योगेश कुमार मोबाइल नंबर-94606877780

प्लाट नं. बी/126 योजना जेडीए एम्पलोई कॉलोनी (खूसर) जयपुर मूल आवंटन पत्र क्रमांक 2164 दिनांक 21.05.2008 कहीं गुम हो गया है। मिलने पर संपर्क करें। वैजयन्ती सैनी मो.नं. 7790951002

भाजपा शासन में कानून व्यवस्था का बंटाधार : भीम पटेल

- 13 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर देने का मामला
- कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को सौपा ज्ञापन

कोटपूतली। विगत दिनों बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा अन्तर्गत बज्जू तहसील के ग्राम रणजीतपुरा में सैन समाज की 13 वर्षिय बालिका, जो कि कक्षा 08 वीं बोर्ड की परीक्षा देने घर से विधालय जा रही थी। उक्त बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर देने की घटना से प्रदेश भर में सैन समाज सहित आमजन के मध्य भारी आक्रोश का माहौल है। इसी के विरोध में श्री नारायणी सेना के तत्वावधान में सैन समाज की आक्रोश सभा का आयोजन कस्बा स्थित नगर परिषद पार्क में हुआ। जहां युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव भीम पटेल, श्री नारायणी सेना प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश सैन, संजय सैन बानसूर, बारबार यूनियन प्रधान राधेश्याम सैन फतेहपुरा कलां, राष्ट्रीय संरक्षक मुरारी लाल सैन रामपुरा, प्रदेश प्रवक्ता हीरालाल सैन, सुरेश सैन हसामपुर, प्रदेश संरक्षक अशोक सैन शुक्लावास, राष्ट्रीय नाई महासभा के तहसील अध्यक्ष नानकचंद सैन, बहरोड़ प्रधान सुनील सैन, वित्तीय सलाहकार बनवारी लाल सैन समेत पदाधिकारियों ने घटनाक्रम की कड़े शब्दों में निंदा व घोर भर्त्सना की। युकां नेता भीम पटेल ने कहा कि भाजपा शासन में कानून व्यवस्था का बंटाधार हो चुका है। अपराध व अपराधियों के दिल से कानून व्यवस्था का खौफ खत्म हो गया है। इस प्रकार की घटनायें सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है, और भजन लाल सरकार गुंगी बहरी बन चुकी है। ऐसी विभत्स घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी देनी चाहिये। प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश सैन ने कहा कि जल्द ही सरकार ने इस पर कड़ी कार्यवाही नहीं की तो उग्र प्रदर्शन पर मजबूर होंगे। इसके बाद नगर परिषद पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। जहां जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व केन्द्रिय गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाते हुये फांसी की सजा दिलवाये जाने, अभियुक्तों के घर को बुल्डोजर से ध्वस्त करने, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी या डेयरी बूथ आंवटित करने, पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 01 करोड़ रूपयों की सहायता राशि उपलब्ध करवाने की मांग की गई है।

यूजीसी एक्ट के खिलाफ सवर्ण समाज लामबंध

दौसा। जिले में यूजीसी एक्ट-2026 को लेकर सवर्ण समाज में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। विभिन्न संगठनों से जुड़े सवर्ण समाज प्रतिनिधियों ने बुधवार को प्रेसवार्ता कर कानून को संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध बताते हुए इसे काला कानून करार दिया है। साथ ही बड़ा आन्दोलन किये जाने का एलान किया है। इस आन्दोलन के तहत 27 फरवरी को मशाल जुलूस एवं 1 मार्च को आक्रोश रैली निकाले जाने की घोषणा की है। प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुये वैश्य समाज के घनश्याम रावत ने कहा कि यूजीसी एक्ट सामाजिक संतुलन के लिए नुकसानदेह है। यूजीसी का उद्देश्य भेदभाव रोकना होना चाहिए, न कि किसी वर्ग को असुरक्षित बनाना। भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही भेदभाव से जुड़े मामलों के लिए प्रविधान मौजूद है, इसलिए अलग से समता समिति बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की। उन्होंने केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुये कहा कि यूजीसी एक्ट को वापस नही लिया गया तो सवर्ण समाज दौसा सहित राज्य के अन्य जिलों में बडा आन्दोलन चलाया जावेगा।

फागोत्सव में उमड़े श्रद्धालु

निवाई। कंकाली माता मन्दिर में शक्ति पीठ सेवा संस्थान के तत्वावधान में फागोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शक्ति सेवा संस्थान के अध्यक्ष शंकर सोनी ने बताया की फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को मातारानी के मन्दिर के फूल बंगला झांकी सजाई गई। सुबह माता का पंचामृत से स्नान कराया गया और मातारानी का विशेष श्रृंगार किया गया। माता के अष्टमी का लड्डू, नमकीन, चूरमा, खीर व मालपुआ का भोग लगाया। अम्बिका महिला मण्डल के तत्वावधान में आयोजित फागोत्सव में मण्डल की कौशल्या शर्मा ने कंकाली थारी चुनरी चमचम चमकें, तेरे द्वार खड़ी हूं अम्मे मां सहित कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसी प्रकार उर्मिला जैन ने आये तेरे दर पर अम्मे मां, हेमलता विजय ओढ़ चुनरिया मातारानी के चरणों में, मातारानी के चरणों, दीपिका सोनी में रंग मत डाले रे सांवरिया मारो गूजर मारेरे, अनिता जैन ने गोटें दार चुंदडी आजा मां ओढें के, सीमा अग्रवाल ने चलो माता ने बुलाया है सहित कई भजनों की प्रस्तुतियां दी।

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक
वाद पत्र संख्या-07/26
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 रूल 8 जा.दी.
जमालुद्दीन कुरेशी बनाम नगरपालिका फुलेरा वगै.
वाद बाबत घोषणा व निरस्त करवाये जाने भूमि विक्रय पत्र (लीज डीड पट्टा) व स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक निषेधाज्ञा
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वादीगण ने एक वाद बहैसियत स्वयं व आम जनता कुरेशी समाज फुलेरा की ओर से कस्बा फुलेरा के पुराना वार्ड सं. 19 व नया वार्ड सं. 22 कसाई मोहल्ला में एक सार्वजनिक चौक व आम रास्ते के बारे में पेश किया है उक्त सार्वजनिक चौक व रास्ता की नाप व सीमाएं निम्न प्रकार है। सीमाएं पूर्व में आम रास्ता के बाद मकान चिरागुद्दीन, पन्नालाल, रामगोपाल, पश्चिम में मकानात महेन्द्र जांगिड का जो पहले स्व. घीसालाल का था स्व. चन्दन घानका का मकान जो वर्तमान में मोर मुकट का है, भूखण्ड स्व. बालूराम का जो वर्तमान में उसके लडके का है, उत्तर में गन्दे पानी का नाला तत्पश्चात सिमेन्टेड रोड, दक्षिण में मकान पन्नालाल का व रास्ता आम है। नाप पूर्व पश्चिम - उत्तरी भुजा 65 फुट, दक्षिणी भुजा 33.6 फुट, उत्तर दक्षिण-पूर्वी भुजा 82.6 फुट, पश्चिमी भुजा 93.6 फुट है। उक्त वाद में कोई भी व्यक्ति अपना हित रखता हो तो वादी का प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनने व अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में दिनांक 10.03.2026 को समय 10 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष सकते है।
अतः उक्त आदेश आज दिनांक 24.02.2026 को न्यायालय के हस्ताक्षर व मुद्रा से जारी किया गया।
मोहर अदालत
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर लेक, जयपुर जिला

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
क्रमांक : न्याय-2/ विस्फोटक मैगजीन /2026/ 2611 दिनांक 24-02-26
लोक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शिवदर्श एक्सप्लोसिव एण्ड एनर्जी के साझेदार 1. प्रकाश चन्द गुर्जर पुत्र श्री बाबूलाल गुर्जर निवासी निवासी ढाणी चौधरी वाली ग्राम हत्याज, जिला सीकर 2. सुशील कुमार गुर्जर पुत्र मंगल चन्द गुर्जर निवासी मामोला जिला सीकर राजस्व ग्राम पातूडी तहसील दूदू जिला जयपुर की खसरा नं. 11 व नया खसरा संख्या 676/663 की 0.6720 हैं उक्त भूमि पर विस्फोटक नियम 2008 के तहत PROPELLANT (DEFENCE) हेतु विस्फोटक मैगजीन निर्माण की चाहने के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र चाहने हेतु प्रार्थना प्रस्तुत किया गया।
उक्त मैगजीन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु ग्रामवासी ग्राम पातूडी तहसील दूदू जिला जयपुर एवं अन्य किसी भी आम नागरिक को कोई आपत्ति हो तो उनके कारणों सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उक्त लोक सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से एक माह की अवधि में प्रस्तुत करें उक्त अवधि के पश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा यह लोक सूचना विस्फोटक नियम 2008 के नियम 103 (3) के तहत मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा सहित आज दिनांक को जारी की गई है।
(डॉ. जितेन्द कुमार सोनी, जिला मजिस्ट्रेट जयपुर)

‘एमएसपी कानून लागू होने से किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा’

राजेश पायलट किसान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी संजू मीणा को ज्ञापन सौपा।

दौसा। राजेश पायलट किसान संगठन के दौसा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सरपंच भंडारी के नेतृत्व में बुधवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने किसानों की विभिन्न मागो का समाधान किये जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम सम्बोधित एक ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी संजू मीणा को सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सरपंच भंडारी ने बताया कि एमएसपी का कानून लागू होने से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वर्तमान में किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना किसानों के हित में आवश्यक है। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द एमएसपी कानून लागू कर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की। इस दौरान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष चौधरी रामकेश दिवाकर, प्रदेश उपाध्यक्ष वैध राजवीर कसाना, प्रदेश उपाध्यक्ष रामचरण बैराडा, राजस्थान मीडिया प्रभारी अंकित बैंसला, जिला महासचिव मुकेश बैरवा, बांदीकुई ब्लॉक अध्यक्ष शेरसिंह पिलवाल, दौसा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सियाराम गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष गिरिज गुर्जर, महवा के ब्लॉक अध्यक्ष महेश खेड़ला, शंकरलाल मीणा, कैलाश गोठवाल, सुरेश डोई, युवानेता संतोष मीणा धनवाड़, राहुल मीना नामनेर उपस्थित थे।

अरावली बचाओ संरक्षण यात्रा कोटपूतली पहुंची

कोटपूतली। अरावली विरासत जन अभियान के बैनर तले अरावली संरक्षण यात्रा देश भर में अरावली प्रभावित क्षेत्रों में यात्रा करते हुये 32 वें दिन बुधवार को कोटपूतली पहुंची। यहां अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ चल रहे धरने व कांसली-शुक्लावास सड़क बचाओ धरना समेत पवाना अहीर में माइनिंग की त्रासदी झेल रहे ग्रामीणों व कस्तूरबा गांधी महिला छात्रावास की बालिकाओं से मिलकर उनकी समस्याओं की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान यात्रा संयोजक नीलम आलूवालिया, कैलाश मीना, अशोक चौधरी गुजरात (आदिवासी समन्वय मंच के संस्थापक), साधना मीना, कुसुम रावत (आदिवासी एकता परिषद बांसवाड़ा) धरने पर पहुंचे। कठपुतली कलाकार रामपाल भाट देहरादून ने कठपुतली का खेल दिखाकर अल्ट्राटेक की कारगुजारियों का प्रदर्शन किया तथा अरावली बचाने की मुहिम में सबकी भागीदारी पर भी ध्यान आकर्षित किया। यात्रा संयोजक नीलम आलूवालिया व आदिवासी समन्वय मंच के संस्थापक अशोक चौधरी ने कहा कि पूंजीपतियों के खिलाफ अलग-अलग गांवों में चल रहे धरना प्रदर्शनों को सफलता जल्द से जल्द तब मिलेगी जब हम सभी लोग एक साथ एक मंच पर बैठकर अपनी आवाज उठायेंगे।

उन्होंने कहा कि खनन कि लूटपाट आगे और बढ़ेगी इसके लिये हमें संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। वहीं जोधपुरा संघर्ष समिति का धरना बुधवार को 1175 वें दिन एवं कांसली-शुक्लावास सड़क बचाओ धरना 55 वें दिन भी जारी रहा। संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास ने किया। इस दौरान सचिव कैलाश यादव समेत बड़ी संख्या में धरनार्थी मौजूद रहे।

प्रपत्र संख्या – 7
(देखिये नियम – 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकद्मा नं० : DEV/Bharatpur/Trust/2026/120
चूंकि प्रार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार गांव व पोस्ट चिचाना, जिला व तह० भरतपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास एसके शिक्षण एवं सामाजिक विकास संस्थान गांव व पोस्ट चिचाना, जिला व तह० भरतपुर, गांव व पोस्ट चिचाना, जिला व तह० भरतपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जाँच किए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जाँच की जा रही है। मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियाँ नहीं की गईं तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णीत किया जावेगा तथा जाँच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 24.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मौहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी – 06.05.2026
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, भरतपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1545
चूंकि प्रार्थी श्री RAM BABU SHARMA UDAIPURIYA HARMARA SIKAR ROAD, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मेहता एजुकेशन सोसायटी VILL-UDAIPURIYA POST HARMARA, VIA VISHWAKARMA, PANCHAYAT SAMITI AMER, DISTRICT JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 30.04.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रधानमंत्री की अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने चर्चा की

- जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूर्ण उत्साह और तत्परता के साथ तैयार है

पीएम नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा भाजपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की मौजूदगी में मिटिंग आयोजित की गई।

टोंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा के सभी मण्डल स्तर पर संगठनात्मक बैठक की जा रही है, इसी क्रम में बुधवार को मुख्यालय पर भाजपा देहात मंडल की बैठक भाजपा कार्यालय पर आयोजित की गई।

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूर्ण उत्साह और तत्परता के साथ तैयार है।

उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर इस ऐतिहासिक सभा को भव्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे, यह एक जनसभा नहीं बल्कि लोगो का मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास होगा। होंने कहा कि सरकार ने योजना का नाम मनरेगा से बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया है, पहले मनरेगा के तहत ग्रामीणों को सौ दिन का रोजगार दिया जाता है।

योजना का नाम बदले जाने के बाद 125 दिन के रोजगार की गारंटी हो गई है, हम सभी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में जनता को बताना है। उन्होंने कहा संगठनात्मक एकता, अनुशासन व निरंतर सक्रियता के साथ संगठन का काम करते रहना है। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्य के साथ जन सेवा को प्राथमिकता देना है। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, प्रधान काबरा, मण्डल प्रभारी महावीर विजय, मण्डल अध्यक्ष धर्मराज गुर्जर सहित पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नहर में 5-6 लोगों के डूबने की मॉक ड्रिल

भरतपुर। शहर की सुजान गंगा नगर में नाव पलटने से 5-6 लोगों की डूबने की सूचना पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई।

जैसे ही कंट्रोल रूम को घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। तुरंत एसडीआरएफ सिविल डिफेंस, पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। गोताखोरों ने नहर में उतरकर सर्च ऑपरेशन चलाया। टीमों ने समन्वय के साथ काम करते हुए सभी 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एडीएम राहुल सैनी ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई एक पूर्व निर्धारित मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ऐसी ड्रिल से यह परखा जाता है कि वास्तविक दुर्घटना की स्थिति में किस तरह से बचाव कार्य को प्रभावी और समयबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा सकता है।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना साधारण प्रारूप
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4)
न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 10
जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमूं
विवाह विच्छेद याचिका संख्या 112/2025
श्रीमति सुनिता गुर्जर बनाम जितेन्द्र उर्फ जीतू गुर्जर
यह कि प्रार्थीया ने इस न्यायालय में विवाह विच्छेद याचिका धारा 13ए, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 आपके विरूद्ध पेश की है। अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 09 माह 03 सन् 2026 को 10 बजे सुबह स्वयं या प्लीडर द्वारा उपसंजात हो यदि ऐसा करने में असफल रहेंगे उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
बनाम- जितेन्द्र उर्फ जीतू गुर्जर पुत्र प्रभात गुर्जर उम्र 32 वर्ष करीब निवासी गुलाब विहार के पास गुर्जरों का मोहल्ला, खानिया बावडी आगरा रोड जयपुर जिला जपुर मो-6377381556
मोहर अदालत
पारिवारिक न्यायाधीश
अपर जिला न्यायाधीश क्रम-10
जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमूं

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/331
चूंकि प्रार्थी श्री राम भरोस मीणा VILL-BHOPALA POST-GARHBASAI THANAGAZI ALWAR PIN 301022 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास लक्ष्मण पब्लिक शिक्षण विकास संस्थान VILL-BHOPALA POST-GARHBASAI THANAGAZI ALWAR PIN 301022 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 04.05.2026
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम